प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

परियोजना का नामः— जनपद देहरादून के अपर गढ़वाली कालोनी पेयजल योजना का सुदृढीकरण कार्य हेतु वन विभाग मसूरी रेंज से 0.075 हैक्टियर वन भूमि का उत्तराखण्ड जल संस्थान रायपुर को हस्तान्तरण।

1. शासनादेश संख्या 504 / उन्तीस (2) / 15—2(101 पे0) / 2014 दिनांक 24.03.2015.
2. नबार्ड RIDF-XXIV संख्या 2480 / उन्तीस (2) / 18—2(160 पे0) / 2018 दिनांक 27.12.2018

(संलग्न है)

(अधिशासी अभियन्ता)
उत्तराखण्ड जल संस्थान रायपुर
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
रायपुर, देहरादून

संख्या: 506/उन्तीस(2)/15-2(101 पे0)/2014

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 24 मार्च, 2015

विषय- **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या: 71/2014, 72/2014, 73/2014 एवं घोषणा संख्या: 74/2014 के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3506/वि0 अनु0/02/अनुदान/2014-15 दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या: 71/2014, 72/2014, 73/2014 एवं संख्या: 74/2014 के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये निम्नांकित 08 कार्यों के आगणन अनुमानित लागत रू0 1363.50 लाख पर टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त (निर्माण कार्यो हेतु रू0 916.83लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत रू0 417.63 लाख) औचित्यपूर्ण पायी गयी कुल धनराशि रू0 1334.46 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में तालिका के कालम-7 में अंकित रू0 24.00 लाख(रू0 चौबीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क.सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत	अनुमोदित धनराशि			स्वीकृत धनराशि
			निर्माण	अधिप्राप्ति	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1	राजपुर चौक से गुजरोवाली चौक तक पेयजल योजना का निर्माण कार्य।**(घोषणा संख्या: 71/2014)**	85.00	57.91	26.38	84.29	3.00
2	माजरी माफी में क्षतिग्रस्त पेयजल योजना का निर्माण कार्य। **(घोषणा संख्या: 72/2014)**	82.00	67.51	10.50	78.01	3.00
3	मियांवाला पेयजल योजना का निर्माण कार्य। **(घोषणा संख्या: 73/2014)**	322.00	207.50	110.40	317.90	3.00
4	नेहरूग्राम पेयजल योजना का निर्माण कार्य।**(घोषणा संख्या: 74/2014)**	96.00	83.13	7.33	90.46	3.00
5	रांझावाला, रायपुर पेयजल योजना का निर्माण कार्य।**(घो0 74/2014)**	90.00	72.38	14.20	86.58	3.00

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
रायपुर, देहरादून

6	तुनवाला पेयजल योजना का निर्माण कार्य।(घोषणा संख्याः 74/2014)	292.00	173.17	113.85	287.02	3.00
7	अपर गढ़वाली कालोनी हेतु पेयजल योजना का निर्माण कार्य।(घोषणा संख्याः 74/2014)	304.00	184.19	115.23	299.42	3.00
8	मियांवाला चौक क्षतिग्रस्त पेयजल योजना का निर्माण कार्य। (घोषणा संख्याः 74/2014)	92.50	71.04	19.74	90.78	3.00
	योग	1363.50	916.83	417.63	1334.46	24.00

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शैडयूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभिन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(v) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(vii) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(viii) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ix) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(x) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय– 01–जलपूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलपूर्ति–03–ग्रामीण पेयजल सैक्टर–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन मद के नामें डाला जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
रायपुर, देहरादून

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या– H 1503133152 दिनांक 24 मार्च, 2015 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18 मार्च, 2015 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अ0 शा0 संख्या: 429/XXVII (2)/2015, दिनांक 24 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0सं0 504 (1)/उन्तीस(2)/15–2(101 पे0)/2014,तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
रायपुर, देहरादून

उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल भवन बी– ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून-- 248001.
दूरभाष :– 0135-2676260, फैक्स :– 0135-2676177,

पत्रांक 6578/वि0अनु0/02/शा0अनु0 1994(40)/2018–19 दिनांक : 29/12/18

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
कोटद्वार/उत्तरकाशी/रायपुर।

विषयः नाबार्ड की RIDF-XXIV योजनान्तर्गत वित्त पोषित निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में

उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या–2480/उन्तीस(2)/18–2(160पे0)/ 2018 पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 से सहायक महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की योजनान्तर्गत वित्त पोषित 06 पेयजल योजनाओं हेतु संलग्न सूची में वर्णित योजनाओं हेतु कुल धनराशि ₹ 263.01 (रू0 दो करोड़ तिरसठ लाख एक हजार) लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आपको शासनादेश की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि टी0ए0सी0 से परीक्षित प्राक्कलन का नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही शासनादेश में वर्णित योजनाओं पर निविदा की कार्यवाही अविलम्ब एवं सामग्री इत्यादि की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें ताकि समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कर शेष राशि की मांग की जा सके।

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश में वर्णित दिशा निर्देशों, शर्तो एवं अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का नियमानुसार अनुपालन करते हुए उपयोगिता समयान्तर्गत प्रेषित करना सुनिश्चित करें। शासनादेश में संलग्न सूची में क्रमांक 01 पर योजना का नाम त्रुटिवश रिगड्डी अंकित हो गया है जबकि सिमड्डी अंकित किया जाना था। जिसके संशोधन हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 6574 दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 से शासन को संशोधन हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

संलग्नकः– शासनादेश की प्रति।

(एच0के0 पाण्डेय)
महाप्रबन्धक(मु0)

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून/पौड़ी।
2. सचिव (अप्रैजल), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून(नगर)देहरादून/टिहरी/पौड़ी।
4. टी0ए0सी0 अनुभाग, उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन, नेहरू कालोनी, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
रायपुर, देहरादून

महाप्रबन्धक(मु0)

80 / उन्तीस(2) / 18–2(160 पे0) / 2018

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 27 दिसम्बर,2018

विषय :– नाबार्ड की RIDF-XXIV योजनान्तर्गत वित्त पोषित निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सहायक महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पत्र दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड की RIDF-XXIV योजनान्तर्गत वित्त पोषित 06 पेयजल योजनाओं हेतु संलग्न सूची में वर्णित योजनाओं के सम्मुख कालम–6 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 263.01 लाख (रू0 दो करोड़ त्रिरसठ लाख एक हजार) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधो के अधीन धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च 2019 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(iv) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं व कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(v) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(vi) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1619
नगुनम
AO/Acctt
29/12

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक– 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01– जलापूर्ति– 102–ग्रामीण जलपूर्ति –98–नाबार्ड वित्त पोषित –01–नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं हेतु अनुदान (4215–01–102–05से स्थान्तरित)–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या– H 1812131751 दिनांक 27 दिसम्बर,2018 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या– 519/3(150)/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल,2018 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
रायपुर, देहरादून

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519/3(150)/XXV... दिनांक 02 अप्रैल,2018 एवं 1432/3(150)/XXVII(1)/2018 दिनांक 17 दिसम्बर,2018 ... दिये दिशा–निर्देशो के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

पृ0 संख्या– (1)/उन्तीस(2)/18–2(160पे0)/2018, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून।
4. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. सहायक महाप्रबन्धक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, होटल सनराईज विल्डिग, 113/2, राजपुर रोड़, देहरदून।
6. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
8. बजट निदेशालय, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–/2, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
राजपुर, देहरादून

उत्तराखण्ड जल संस्थान

वित्तीय वर्ष, 2018–19 में चालू/निर्माणाधीन पेयजल योजनाओ हेतु नाबार्ड RIDF-XXIV फेस–04 के अंतर्गत ऋण की धनराशि की मांग

धनराशि, लाख में

क्र0 सं0	योजना का नाम	अनुमानित लागत	वर्तमान तक कुल अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि	वर्तमान में जारी धनराशि	वर्तमान में जारी धनराशि अवमुक्त होनेके पश्चात अवशेष धनराशि	राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रिगड्डी पेयजल योजना के जीर्णोद्वार हेतु पार्ट–II	150.89	85.[illegible]	65.00	19.50	45.50	0.00
2	मोटाढाक पेयजल योजना के जीर्णोद्वार हेतु।	174.53	100.53	74.00	22.20	51.80	0.00
3	जनपद उत्तरकाशी के जोशियाडा लदाडी पेयजल योजना में नलकूप निर्माण कार्य।	219.97	80.00	139.97	41.99	97.98	0.00
4	ज्ञानसू में नलकूप खनन एंव तत्सम्बन्धी कार्यो हेतु।	238.72	80.00	158.72	47.62	111.10	0.00
5	तुनवाला पेयजल योजना का निर्माण कार्य।	287.02	69.02	218.00	65.40	152.60	0.00
6	शमशेरगढ़ गढवाली कालोनी हेतु पेयजल योजना का निर्माण।	299.42	78.42	221.00	66.30	154.70	0.00
	कुल योग	1370.55	493.86	876.69	263.01	613.68	0.00

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
रायपुर, देहरादून